कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली (म0प्र0)

(Email ID - eewrdsingrauli@gmail.com)

पत्र क्र0 671 / तकनीकी / 2024 सिंगरौली दिनांक 27 / 4 / 2024

प्रति,

जनरल मैनेजर
खड़िया एरिया एन.सी.एल.
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

विषयः– एन.सी.एल. खड़िया क्षेत्र के वनभूमि कम्पार्टमेंट क्र. पी–261 के अन्तर्गत प्राकृतिक नाला को डायवर्ट करने की अनुमति वावत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्र. NCL/KHD/GM/Min/Env/FC 53.142/2024-25/4246 दिनांक 20.04.2024

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा नाला डायवर्सन की अनुमति प्रकरण प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

1. कोल माइन्स हेतु प्रस्तावित वनभूमि 1697.906 हे. कम्पार्टमेंट क्र. पी–261 खड़िया रेंज के अन्तर्गत तीन मौसमी प्राकृति नाले में प्रभावित हो रहे है।
2. **नाला क्र. 1 :–** नाले की लम्बाई 380 मी. है। नाले का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। नाले का उद्‌गम एवं अंत खदान के अन्दर होने के कारण नाला का हिस्सा दर हिस्सा कटता जाएगा अतः डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
3. **नाला क्र. 2:–** नाले की लम्बाई 840 मी., बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। नाले का उद्‌गम एवं अंत खदान के अन्दर होने के कारण नाला का हिस्सा दर हिस्सा कटता जाएगा अतः डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
4. **नाला क्र. 3:–** नाले की लम्बाई 1245 मी., बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। नाले का उद्‌गम एवं अंत खदान के अन्दर होने के कारण नाला का हिस्सा दर हिस्सा कटता जाएगा अतः डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
5. **बलिया नाला क्र. 4:–** नाले का बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नाले का उद्‌गम एवं अंत खदान की बाउण्ड्री लाइन के बाहर होने के कारण डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
6. प्रकरण के साथ GRID Plan, Cross Section संलग्न है।

सीजनल ड्रेन डायवर्सन स्थल खदान के अन्दर प्रस्तावित किया गया है, जिसे कार्ययोजना अनुसार 3–4 वर्ष के बाद खदान में कार्य प्रारंभ होने के पूर्व निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अतः निम्न शर्तो के साथ सीजनल ड्रेन डायवर्सन हेतु अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. प्रस्तावित सीजनल ड्रेन में प्रवाहित जल को प्रदूषण से बचाने की व्यवस्था की जावे ताकि जल का उपयोग सिंचाई, निस्तार व अन्य प्रयोजन में किया जा सके।
2. वर्षाकाल में उक्त सीजनल ड्रेन में प्राकृति नालों से जल संग्रहीत किए जाने की व्यवस्था की जाना आवश्यक है ताकि नाले का प्राकृतिक श्रोत बना रहे और जल का स्थानीय तौर पर समुचित उपयोग होता रहे।
3. सीजनल ड्रेन निर्माण प्रारंभ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सूचना के साथ ही निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के मापदंडों पर कराया जावे।
4. नाले से औद्योगिक प्रयोजन हेतु पानी की आवश्कता होने पर नियमानुसार प्रपत्र–199 में मांग पत्र प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सहपत्रः–शून्य।

(signature)
(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0क्र0 672 / तकनीकी / 2024 सिंगरौली दिनांक 27 / 11 / 2024

प्रतिलिपिः–

मुख्य अभियन्ता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

(signature)
(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)